

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

श्रीमति लाडमी कंवर पत्नी मांगीरान बनाम श्रीरुदान पुत्र इन्द्रदान जाति
जाति - चारण निवासी - देवलपुरा (आरंग) - चारण, निवासी - देवलपुरा (आरंग)
तहसील - शिव - ज़ि० बाड़मेर तह० शिव बाड़मेर
(वर्ग-१) (वर्ग-२)

किस्म मुकदमा राजस्व वाडि अधि. मुकदमा नम्बर 124/1 2020

तारीख हुम्न	हुम्न कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुम्न की तारीख में जारी हुए
21/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री नरिन्द्र सिंह सियाग (Adv.) ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/09/2020 को पेश हो।	
20/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 11/12/20 को पेश हो।	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
4/12/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 10/1/21 को पेश हो।	
10/1/21	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 10/3/21 को पेश हो।	
10.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा शामिल मुद्दा नोटिस/डिलेवरी कम्प्लैन्ट रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किसे गाने। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी तथा का इन्जाम होकर आईन्दा दिनांक 19.04.2021 को पेश हो।	



सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/09/2025

पत्रावली पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय
में गद्दी व उभयपक्ष अधिवक्ता को रुक-रुककर
आवाजें दी जाने से वास्तविक अनुपस्थित। अतः
पत्रावली में उद्दि प्रभावी पैरवी नहीं होने लक्षण
गद्दी व उभयपक्ष अधिवक्ता से अनुपस्थित होने
पर उक्त गद्दी अद्य दायरी व अद्य पैरवी में
श्वरीज दिया जाता है।

पत्रावली नंबर से इस घेठर
वाशिन दफ्तर में।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)